



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24012024-251582
CG-DL-E-24012024-251582

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 24, 2024/माघ 4, 1945

No. 55]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 24, 2024/MAGHA 4, 1945

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2024

सा.का.नि. 61(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (अनुज्ञेय अधिकारिताओं में साधारण शेयर सूचीबद्ध करना) नियम, 2024 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;

(ख) “प्राधिकरण” से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 4 के अधीन स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) “फीस” से ऐसी फीस अभिप्रेत है जो कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 के अधीन विनिर्दिष्ट है;

(घ) “अनुज्ञेय अधिकारिता” से पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिकारिता अभिप्रेत है;

(ड) “अनुसूची” से नियमों में संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(च) “स्कीम” से वित्त मंत्रालय में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी की गई भारत में निगमित कंपनियों के साधारण शेयरों का अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों में प्रत्यक्ष सूचीकरण स्कीम अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, तथा इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में या कंपनी (परिभाषाओं के व्यौरों का विनिर्देश) नियम, 2014 या स्कीम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम, नियमों या स्कीम में हैं।

3. लागू होना.- इन नियमों के उपबंध निम्नलिखित पर लागू होंगे-

(क) असूचीबद्ध पब्लिक कंपनियां;

(ख) सूचीबद्ध पब्लिक कंपनियां, जहां तक वे प्रतिभूति और विनियम बोर्ड या प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जारी किए गए किन्हीं अन्य विनियम या निदेशों के अनुसरण में हैं।

जो अनुज्ञेय अधिकारिता में अनुज्ञात स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीकरण के प्रयोजनार्थ अपनी प्रतिभूतियां जारी करते हैं।

4. अनुज्ञेय अधिकारिता में अनुज्ञात स्टॉक का एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध.- (1) असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी, जो नियम 5 के अधीन नहीं है और जिसके पास कोई भी आंशिक रूप से प्रदत्त शेयर नहीं है, वह अनुज्ञेय अधिकारिता में किसी स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होने के प्रयोजन के लिए साधारण शेयर जारी कर सकती है।

स्पष्टीकरण - इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए साधारण शेयरों के जारी करने में, अनुज्ञेय अधिकारिता में स्टॉक एक्सचेंजों पर पब्लिक कंपनी के वर्तमान शेयरधारकों द्वारा साधारण शेयरों के विक्रय के लिए प्रस्ताव सम्मिलित होगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी या इसके वर्तमान शेयरधारक स्कीम की अपेक्षाओं का भी अनुपालन करेंगे।

(3) किसी असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी द्वारा, जो अपने साधारण शेयरों को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 खण्ड (च) के अधीन यथा परिभाषित किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में भी सूचीबद्ध कराना चाहती है, ऐसी शर्तों के अनुसरण में, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की गई है, अपने साधारण शेयर को अनुज्ञेय अधिकारिता में अनुज्ञेय स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करेंगी।

(4) असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट ई-प्रारूप लीप -1 में शुल्क के साथ, उसे अंतिम रूप प्राप्त होने और अनुज्ञात एक्सचेंज में फाइल किए जाने के सात दिन की अवधि के अंदर प्रोस्पेक्टस फाइल करेगी।

(5) अनुज्ञेय अधिकारिता में किसी स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी के साधारण शेयर के सूचीबद्ध होने के पश्चात्, किन्हीं अन्य लेखा मानक, जिनका अनुपालन संबंधित प्रतिभूति विनियमक या संबंधित स्टॉक एक्सचेंज, जैसा भी मामला हो, के समक्ष दर्ज किए गए वित्तीय व्यौरों को बनाने के लिए उनके द्वारा करना अपेक्षित है, के अतिरिक्त कंपनी अपने वित्तीय व्यौरे बनाने के लिए कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में यथा विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का भी अनुपालन करेगी।

5. कतिपय अपात्र कंपनियां: कोई कंपनी इन नियमों के अनुसार साधारण शेयर जारी नहीं कर सकती यदि वह-

(क) धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकृत या अधिनियम की धारा 406 के अधीन निधि के रूप में घोषित कंपनी है;

(ख) प्रत्याभूति द्वारा परिसीमित की गई कंपनी जिसके पास शेयर पूंजी है;

(ग) अधिनियम के अध्याय-V और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार लोगों से प्राप्त कोई बकाया जमा राशि रखती है;

(घ) नकारात्मक शुद्ध मूल्य है;

स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “शुद्ध मूल्य” का जो अर्थ अधिनियम की धारा 2 के खंड (57) में दिया गया है वही होगा।

(ड) किसी बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या अपरिवर्तनीय डिबेंचरधारक या किसी अन्य प्रतिभूतिकृत लेनदार की बकाया राशि के भुगतान में चूक की हो:

परंतु यह कि यह खंड उस स्थिति में लागू नहीं होगा जबकि कंपनी ने अपनी चूक को सुधार लिया है और चूक को सुधारने की तारीख से लेकर अब तक दो वर्ष की अवधि बीत गई हो;

(च) अधिनियम के अधीन समापन या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) के अधीन कोई समाधान या समापन के लिए आवेदन किए जाने पर तथा अधिनियम के अधीन समापन या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 (2016 का 31) के अधीन समाधान अथवा समापन की कोई कार्यवाही जारी रहने पर;

(छ) धारा 92 के अधीन की वार्षिक विवरणिका अथवा धारा 137 के अधीन के वित्तीय विवरण का समयानुसार फाइल करने में चूक की है।

प्रथम अनुसूची

[नियम 2 (1) (घ) तथा (ड.) देखें]

1

अनुज्ञेय अधिकारिता

भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र

2

अनुज्ञेय स्टॉक एक्सचेंज

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज,
एन एस ई अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज

द्वितीय अनुसूची

[नियम 4(4) देखें]

प्ररूप सं. लीप-1

(अनुज्ञेय अधिकारिता-1 में साधारण शेयरों का सूचीकरण)

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 23 की उप-धारा (3) और कंपनी (अनुज्ञेय अधिकारिताओं में साधारण शेयर सूचीबद्ध करना) नियम, 2024 के नियम 4 के अनुसरण में]



सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रार के समक्ष प्रोस्पेक्टस को प्रस्तुत करने संबंधी प्ररूप

प्ररूप की भाषा ० अंग्रेजी ० हिंदी

प्ररूप दायर करते समय अनुदेशिका किट का संदर्भ लें

1. (क) * कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन):

प्री-फिल

2. (क) कंपनी का नाम

(ख) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

(ग) ई-मेल आईडी

3. * आवेदन का प्रयोजन

○ प्रोस्पेक्टस को फाइल करना

(क) प्रतिभूति विनियामक/स्टॉक एक्सचेंज के अनुमोदन की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

(ख) प्रतिभूति विनियामक/स्टॉक एक्सचेंज के पास प्रोस्पेक्टस प्रस्तुत करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

4. *लंबित निरीक्षण, अन्वेषण या जाँच से संबंधित सूचना:

(क) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कंपनी के विरुद्ध किसी निरीक्षण का आदेश दिया गया है।

○ हां

○ नहीं

(ख) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कंपनी के विरुद्ध किसी अन्वेषण का आदेश दिया गया है।

○ हां

○ नहीं

(ग) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कंपनी के विरुद्ध किसी जाँच का आदेश दिया गया है।

○ हां

○ नहीं

संलग्नक:

संलग्नकों की सूची

1. *प्रतिभूति विनियामक/स्टॉक एक्सचेंज का अनुमोदन

संलग्न करें

2. *प्रोस्पेक्टस को फाइल करने की पावती की प्रति

संलग्न करें

3. *प्रोस्पेक्टस की प्रति

संलग्न करें

4. वैकल्पिक अनुलग्नक, यदि कोई है

संलग्न करें

संलग्नक हटायें

घोषणा

मेरी जानकारी और विश्वास में, इस प्ररूप और संलग्नक में दी गई सूचना सही और पूर्ण है। इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और उसे प्रस्तुत करने का प्राधिकार निदेशकों के बोर्ड द्वारा मुझे तारीख को (दिन/माह/वर्ष) के संकल्प द्वारा दिया गया।

आगे यह घोषणा की जाती है कि कंपनी ने इन नियमों के सभी उपबंधों का अनुपालन किया है।

*डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के लिए डीएससी बॉक्स

* पदनाम

* निदेशक का डीआईएन; या प्रबंधक या सीईओ

या सीएफओ का डीआईएन या पैन; या

कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या

व्यवसायरत वृत्तिक द्वारा प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस प्ररूप की विषय वस्तु और उससे संबंधित प्रासंगिक मामलों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों, उसके अधीन बनाए गए नियमों को पढ़ा है और मैं कंपनी द्वारा अनुरक्षित मूल अभिलेखों से उपर्युक्त व्यौरो (संलग्नक सहित) का सत्यापन करता/करती हूँ जो इस प्ररूप की विषय वस्तु है और वह सत्य, सही और पूर्ण है और इस प्ररूप से संबंधित किसी भी सूचना को छिपाया नहीं गया है।

*डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के लिए

☐ सनदी लेखाकार (पूर्णकालिक व्यवसायरत) या ☐ लागत लेखाकार (पूर्णकालिक व्यवसायरत) या

☐ कंपनी सचिव (पूर्णकालिक व्यवसायरत)

एसोसिएट या फेलो

☐ एसोसिएट ☐ फेलो

सदस्यता संख्या

व्यवसाय प्रमाणपत्र संख्या

टिप्पण: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और धारा 449 के उपबंधों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनके अधीन क्रमशः कपट के लिए दंड, झूठे वक्तव्य के लिए दंड और झूठे साक्ष्य के लिए दंड का उपबंध करती है

संशोधित

प्रपत्र चेक करे

पूर्व संवीक्षा

प्रस्तुत

यह ई-प्ररूप इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रखी जा रही फाइल पर और निदेशक और वृत्तिक द्वारा दिए गए सत्यता के विवरण के आधार पर लिया गया है।”

[फा. सं. 5/1/2021-सीएल-1]

मनोज पाण्डेय, अपर सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2024

G.S.R. 61(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 23 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Companies (Listing of equity shares in permissible jurisdictions) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(b) “Authority” means the International Financial Services Centres Authority established under section 4 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);

(c) “fees” means fees as specified under the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014;

(d) “permissible jurisdiction” means a jurisdiction specified in the First Schedule;

(e) “Schedule” means the Schedule annexed to these rules;

(f) “Scheme” means the Direct Listing of Equity Shares of Companies Incorporated in India on International Exchanges Scheme made by the Central Government in the Ministry of Finance.

(2) The words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act or in the Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014 or the Scheme, shall have the meanings as respectively assigned to them in the Act, Rules or in the Scheme.

3. Application.- The provisions of these rules shall apply to —

(a) unlisted public companies;

(b) listed public companies, so far as they are in accordance with regulations framed or directions issued in this regard by the Securities and Exchange Board or the Authority,

which issue their securities for the purposes of listing on permitted stock exchanges in permissible jurisdictions.

4. Listing on permitted stock exchanges in permissible jurisdictions.- (1) An unlisted public company, which does not fall under rule 5 and which has no partly paid-up shares, may issue equity shares for the purposes of listing on a stock exchange in a permissible jurisdiction.

Explanation. — For the purposes of this sub-rule, issue of equity shares shall include, offer for sale of equity shares by existing shareholders of the unlisted public company for listing on a stock exchange in a permissible jurisdiction.

(2) The unlisted public company or its existing shareholders referred to in sub-rule (1) shall also comply with the requirements of the Scheme.

(3) Listing of equity shares on permitted stock exchanges in permissible jurisdiction by an unlisted public company which also intends to get its equity shares listed with any recognised stock exchange as defined under clause (f) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) shall also be in compliance with such conditions as may be specified by the Securities and Exchange Board of India.

4) The unlisted public company shall file the prospectus in e-Form **LEAP-1** specified in the Second Schedule along with the fees within a period of seven days after the same has been finalised and filed in the permitted exchange.

(5) After the listing of the equity shares of a company on any of the stock exchanges in a permissible jurisdiction, the company shall comply with Indian Accounting Standards as specified in the Annexure to the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 in preparation of their financial statements, in addition to any other accounting standard, which they may be required to comply for the preparation of the financial statements filed before the securities regulator concerned, or with the stock exchange concerned, as the case may be.

5. Certain companies not eligible.- A company shall not be eligible for issuing its equity shares for listing in accordance with these rules, in case it —

- (a) has been registered under section 8 or declared as Nidhi under section 406 of the Act;
- (b) is a company limited by guarantee and also having share capital;
- (c) has any outstanding deposits accepted from the public as per Chapter V of the Act and rules made thereunder;
- (d) has a negative net worth;

Explanation.— For the purposes of this clause, the expression “net worth” shall have the same meaning as assigned to it under clause (57) of section 2 of the Act;

- (e) has defaulted in payment of dues to any bank or public financial institution or non-convertible debenture holder or any other secured creditor:

Provided that this clause shall not apply if the company had made good the default and a period of two years had lapsed since the date of making good the default;

- (f) has made any application for winding-up under the Act or for resolution or winding-up under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016) and in case any proceedings against the company for winding-up under the Act or for resolution or winding-up under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016) is pending;
- (g) has defaulted in filing of an annual return under section 92 or financial statement under section 137 of the Act within the specified period.

The First Schedule

[See rule 2 (1) (d) and (e)]

(1)

Permissible Jurisdiction.

International Financial Services
Centre in India.

(2)

Permitted Stock Exchange.

India International Exchange, NSE
International Exchange.

The Second Schedule

[See rule 4(4)]

FORM NO. LEAP-1

(Listing of equity shares in permissible jurisdictions-1)

[Pursuant to sub-section (3) of section 23 of the Companies Act, 2013 and rule 4 of the Companies (Listing of equity shares in permissible jurisdictions) Rules, 2024]

Form for submission of Prospectus with the Registrar

Form language ☐ English ☐ Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

1. (a) *Corporate Identity Number (CIN) of company
2. (a) Name of the company
 (b) Registered Office Address
 (c) *email Id
3. * Purpose of application
☐ Filing of prospectus
 (a) Date of approval of Securities regulator/ stock exchange (DD/MM/YYYY)
 (b) Date of submission of prospectus with Securities regulator/ stock exchange (DD/MM/YYYY)
4. *Information with regard to pending inspection, investigation or inquiry:
 - (a) Whether an inspection has been ordered against the company under the Companies Act, 2013
☐ Yes ☐ No
 - (b) Whether an investigation has been ordered against the company under the Companies Act, 2013
☐ Yes ☐ No
 - (c) whether an Inquiry has been ordered against the company under the Companies Act, 2013
☐ Yes ☐ No

List of Attachments:

1. * Copy of the approval of securities regulator/stock exchange
2. * Copy of acknowledgement of filing of prospectus
3. *Copy of the prospectus
4. Optional attachments, if any

Declaration

To the best of my knowledge and belief, the information given in this form and attachments is correct and complete. I have been authorized by board of directors' resolution dated* (DD/MM/YYYY) to sign and submit this form.

It is further declared that the company has complied with all the provisions of these rules.

*To be digitally signed by DSC BOX

*Designation

*Director identification number of the director; or

DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or

Membership number of company secretary.

Certificate by Practicing Professional

It is hereby certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original records maintained by the Company which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed.

*To be digitally signed by DSC BOX

☐ Chartered Accountant (in whole-time practice) or

☐ Cost Accountant (in whole-time practice) or

☐ Company Secretary (in whole-time practice)

Whether Associate or Fellow

☐ Associate

☐ Fellow

Membership Number

Certificate of Practice Number

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement or false certification and punishment for false evidence respectively.

Modify

Check form

Prescrutiny

Submit

This e-Form has been taken on file maintained by the Registrar of Companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the Director and professional.”

[F. No. 5/1/2021-CL-I]

MANOJ PANDEY, Addl. Secy.